



प्रेस नोट
जनपद-सोनभद्र
दिनांक-02.11.2025

**थाना रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई — 130 पेटियों में 1170 लीटर अवैध देशी शराब बरामद,
दो अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री राज सोनकर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अवैध शराब तस्करी रोकथाम अभियान के क्रम में थाना रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 01.11.2025 को थाना रायपुर पुलिस द्वारा रायपुर चौराहे पर संदिग्ध वाहन/व्यक्ति चेकिंग की जा रही थी, तभी मुखबिर की सूचना पर बैनी की ओर से आ रहे एक टाटा मालवाहक वाहन (संख्या UP 64 BT 2578) को रोकने का प्रयास किया गया। वाहन चालक द्वारा भागने का प्रयास करने पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर वाहन को रोक लिया। वाहन की तलाशी के दौरान कुल 130 पेटियों में लगभग 1170 लीटर अवैध देशी शराब बरामद की गई, जबकि बिल्टी में केवल 495 लीटर देशी शराब दर्ज पाई गई।

वाहन में सवार दो व्यक्तियों —

- 1 विपिन पासवान पुत्र समृत लाल निवासी ग्राम सहिजन कला थाना रावटसगंज उम्र 19 वर्ष
- 2 सुनील भारती पुत्र बसंतू निवासी ग्राम पाड़र थाना पन्नूगंज उम्र 18 वर्ष को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि उक्त शराब श्याम सुंदर जायसवाल पुत्र स्व. भुवनेश्वर प्रसाद एवं उनके पुत्र अमित कुमार निवासी वार्ड नं. 4 पंचमुखी मोड़ चुरक, रॉबर्ट्सगंज द्वारा लदवाई गई थी, जिसे वे बिहार ले जा रहे थे।

बरामद शराब में ब्लू लाइम, दबंग गोल्ड, रॉयल मोमेंट्स व रेड लाइम जैसे ब्रांड शामिल हैं, जिनका उत्पादन विभिन्न डिस्टिलरियों से हुआ है। बरामद वाहन व शराब को सील कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

बरामदगी का विवरण

कुल पेटियां: 130

कुल मात्रा: लगभग 1170 लीटर देशी शराब

बरामद वाहन: टाटा इंद्रा UP 64 BT 2578

गिरफ्तार अभियुक्त

1. विपिन पासवान पुत्र समृत लाल निवासी ग्राम सहिजन कला, थाना रावटसगंज, उम्र 19 वर्ष।
2. सुनील भारती पुत्र बसंतू निवासी ग्राम पाड़र, थाना पन्नूगंज, उम्र 18 वर्ष।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

उ०नि० सूबेदार यादव

हे०का० धर्मेन्द्र कुमार

का० अखिलेश कुमार

का० मुकेश कुमार

- जनपद पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी के विरुद्ध अभियान सतत जारी है। ऐसे अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।